

योजना का नाम	<b>विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना</b>
योजना के तहत देय लाभ	– छात्रवृत्ति, फीस पुनर्भरण की आर्थिक सहायता
पात्रता की शर्तें	<ul style="list-style-type: none"> <li>– छात्र/छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो ।</li> <li>– छात्र/छात्राओं गत वर्ष कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया हो ।</li> <li>– आवेदक के पास अधिकृत चिकित्सा अधिकारी/बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या अधिक का निःशक्तता प्रमाण पत्र हो ।</li> <li>– छात्र/छात्रा के अभिभावक /संरक्षक का वार्षिक आय रूपये 2 लाख वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।</li> <li>– राजस्थान का मूल निवासी हो ।</li> <li>– छात्र /छात्रा पूर्व में अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति /भत्ता राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्था/ट्रस्ट से प्राप्त नहीं कर रहा हो ।</li> </ul>
आवेदन कैसे करें	
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कहां संपर्क करें	– सम्बन्धित जिला अधिकारी– सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

#### आवेदन पत्र का प्रारूप